न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 40/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. टुण्डा उर्फ पार्वती पुत्री भगवानसहाय पत्नि कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला दौसा
2. मोती पुत्री भगवानसहाय पत्नि राजूलाल जाति मीना निवासी ग्राम धर्मपुरा जिला जयपुर
3. केशन्ती पुत्री भगवानसहाय पत्नि रमेशचन्द जाति मीना निवासी ग्राम धर्मपुरा जिला जयपुर
4. कमली पुत्री भगवानसहाय पत्नि सीतराम जाति मीना निवासी ग्राम लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर
5. मुरली देवी उर्फ मूली पत्नि भगवानसहाय जाति मीना निवासी दौसा जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामप्यारी पत्नि श्रवणलाल
2. सीताराम पुत्र श्रवणलाल
3. रामावतार पुत्र श्रवणलाल
4. लल्लू पुत्र श्रवणलाल
5. फैलीराम पुत्र श्रवणलाल
6. रमेशचन्द पुत्र श्रवणलाल

समस्त जाति मीना निवासी सिविल लाईन्स के पास, सिर्रा की ढाणी, दौसा तहसील व जिला दौसा

7. गंगा देवी पत्नि सियाराम
8. रामचन्द्र पुत्र सियाराम
9. विश्राम पुत्र सियाराम
10. कंचन पुत्री सियाराम
11. रामकल्याण पुत्र सियाराम
12. राजन्ती पुत्री भगवानसहाय
13. रामपति पत्नि रामकिशोर
14. गुड्डी पुत्री रामकिशोर
15. अंकिता पुत्री रामकिशोर

समस्त जाति मीना निवासी सिविल लाईन्स के पास, सिर्रा की ढाणी, दौसा तहसील व जिला दौसा

16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
17. उपपंजीयक दौसा जिला दौसा
18. बैंक ऑफ बडौदा शाखा दौसा जरिए शाखा प्रबन्धक दौसा
19. श्री मूलचन्द लूनिया आर.ए.एस. उपजिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी रामप्यारी [illegible] गंगा देवी मु0नं0 13/2023 आगामी तारीख पेशी 16.5.2025

उपस्थित :
1. श्री उमेश [illegible] कुमार [illegible], अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से।
4. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 13 से 15 की ओर से।

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::– दिनांकः 25.6.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन मुकदमा नं0 13/2023 उनवानी रामप्यारी बनाम गंगा देवी वगै0 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 6 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष वाद उनवानी रामप्यारी बनाम गंगा देवी मु0नं0 13/2023 बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थीनीगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का मौका दिये गलत प्रकार से गलत पते पर सांठगांठ करके तामील करवाकर अधिनस्थ न्यायालय से इकतरफा के आदेश प्राप्त कर लिये जिसके संबंध मे प्रार्थीगण को जानकारी होने पर न्यायालय उपजिला कलेक्टर दौसा के यहां प्रार्थना पत्र बाबत मंसूखी कार्यवाही एवं प्राथमिक डिकी को मंसूख कराने के लिए प्रार्थना पत्र अ०धारा ऑर्डर 9 रूल 13 जा. दी. प्रस्तुत अ०धारा ऑर्डर 9 न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व तारीख पेशी पर जनरल तारीख पेशी 10–6–2025 नियत फरमाई गई थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 6 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थीनीगण को बिना सुने तारीख पेशी 09–05–2025 नियत फरमा दी एवं जिसके पश्चात तारीख पेशी 16–5–2025 नियत फरमाई गई है। न्यायालय उपजिला कलेक्टर पीठासीन अधिकारी श्री मूलचन्द लूनिया की अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 6 से मिलीभगत होने के कारण प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का रवैया पक्षपातपूर्ण है एवं उनकी कार्यशैली संदेहास्पद है। उनके यहां प्रस्तुत होने वाले दावो की विषय वस्तु एक होने के पश्चात भी उनके द्वारा अलग अलग आदेश पारित किये जाते है जिसके संबंध मे न्यायालय हाजा द्वारा जांच फरमाई जा सकती है। प्रकरण उनवानी मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा० 6 की पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ हो गयी है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मंखूसी एवं प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 13 जा०दी० के लिए बिना सुनवाई किये सरेआम यह कहा है कि इन प्रार्थना पत्र मे कुछ भी नही है एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 6 भी सरेआम धमकी दे रहे है कि वो रोड पर स्थित मूल्यवान भूमि का तकास्मा अपने हक मे करवायेगे एवं रोड के पीछे भूमि प्रार्थीगण के हक मे करवायेगे। जिससे प्रार्थीनीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी श्री मूलचन्द लूनिया प्रकरण उनवानी मे न्याय नही करेगे। अतः प्रार्थीगण के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है इसलिए न्यायार्थ उक्त पत्रावली को सक्षम न्यायालय के समक्ष भिजवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां विचाराधीन वाद मु०नं० 13/2023 प्रकरण उनवानी रामप्यारी बनाम गंगा देवी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 6 व 13 से [illegible] में कथन किया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के पीठासीन [illegible] प्रकरण उनवानी रामप्यारी बनाम गंगा वगै0 में विधिवत [illegible] प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में विलंब करने की नीयत से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसे निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप जिला कलक्टर दौसा के द्वारा विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रकिया के अनुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उप जिला कलक्टर दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये संपूर्ण आरोप मिथ्या एवं निराधार है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का समान अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया अनुसार ही सुनवाई की जा रही है। बावजूद इसके यदि प्रार्थीगण उक्त पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो कोई आपत्ति नहीं है। स्थानान्तरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि गलत तामील करवाई गई है व धारा आर्डर 9 रूल 13 को बिना सुनवाई खारिज कर दिया एवं शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र को बिना पक्षकारान को सुने स्वीकार किया गया एवं सरेआम धमकी दी गई कि वह रोड पर स्थित मूल्यवान भूमि का तकास्मा प्रार्थी के विरूद्ध कर देगे। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की प्रस्तुत नोट शीट का अवलोकन किया। उक्त नोट शीट दिनांक 24.3.2025 तक की प्रस्तुत की गई है जिसमें कहीं भी शीघ्र सुनवाई के संबंध में कोई निर्णय अंकित नहीं है। जहां तक आर्डर 9 रूस्ल 13 (जा.दी.) के संबंध में निर्णय का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज एवं उन पर उपखंड अधिकारी द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया है, पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह प्रार्थी के पीछे की भूमि तकास्मा में देंगे तो इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.6.2025 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested